

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 मार्च 2017—फाल्गुन 23, शक 1938

#### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. 84(9)-वि.निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-55.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं:—

1. क्रमांक 100/MP-LA/1/2017(Bye), दिनांक 14 मार्च, 2017
2. क्रमांक 100/MP-LA/2/2017(Bye), दिनांक 14 मार्च, 2017

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 14 मार्च, 2017—23 फाल्गुन, 1938 (शक)

#### अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-1-2017 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 09-अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सत्यदेव कटारे के निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 09-अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों और किए गए आदेशों के उपन्धों के अनुसार 15 अप्रैल, 2017 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :—
- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: - 21 मार्च, 2017 (मंगलवार)
- (ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख: - 22 मार्च, 2017 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: - 24 मार्च, 2017 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: - 09 अप्रैल, 2017 (रविवार)
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: - 15 अप्रैल, 2017 (शनिवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,  
हस्ता./-  
( अनुज जयपुरियार )  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 14<sup>th</sup> March, 2017—23 Phalguna, 1938 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-1-2017 (Bye).—WHEREAS, the seat of **Shri Satyadev Katare** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh, State, elected from **09-Ater** Assembly Constituency has become vacant on 20th October, 2016 by reason of his death: and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

- (A) **Calls upon** the said **09-Ater** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 15<sup>th</sup> April, 2017 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) **Appoints**, with respect to the said election,—
- (a) the 21<sup>st</sup> March, 2017 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 22<sup>nd</sup> March, 2017 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 24<sup>th</sup> March, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 09<sup>th</sup> April, 2017 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken,
- (e) the 15<sup>th</sup> April, 2017 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

- (C) **fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)

Secretary.

Election Commission of India.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 14 मार्च, 2017—23 फाल्गुन, 1938 (शक)

### अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-2-2017 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री ज्ञान सिंह के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों और किए गए आदेशों के उपन्धों के अनुसार 15 अप्रैल, 2017 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :—

- |     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:                     | - 21 मार्च, 2017 (मंगलवार)     |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:                   | - 22 मार्च, 2017 (बुधवार)      |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:               | - 24 मार्च, 2017. (शुक्रवार)   |
| (घ) | वह तारीख, जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:        | - 09 अप्रैल, 2017 (रविवार)     |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | - 15 अप्रैल, 2017 (शनिवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 14<sup>th</sup> March, 2017—23 Phalgun, 1938 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2017 (Bye).—WHEREAS, the seat of **Shri Gyan Singh** in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, elected from **89-Bandhavgarh (S.T.)** Assembly Constituency in the state has become vacant on **05<sup>th</sup> December, 2016**, by reason of his resignation: and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

- (A) **Calls upon** the said **89-Bandhavgarh (S.T.)** Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **15<sup>th</sup> April, 2017 (Saturday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the scheduled Tribes of the state, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) **Appoints**, with respect to the said election,—
- the 21<sup>st</sup> March, 2017 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - the 22<sup>nd</sup> March, 2017 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - the 24<sup>th</sup> March, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - the 09<sup>th</sup> April, 2017 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken,
  - the 15<sup>th</sup> April, 2017 (Saturday), as the date before which the election shall be completed, and
- (C) **fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)

Secretary,

Election Commission of India.